जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना कोटपूतली–किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे 4 से 6 लेन) जिसका कुल एरीया 208.5 किलोमीटर है जिसमें 79 किलोमीटर तहसील पाटन, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं रींगस जिला सीकर (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 19.06.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 04.05.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– कार्यालय पंचायत समिति, खण्डेला एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण--

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/1708 दिनांक 04.05.2026 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके–पीएच–057/589–605 दिनांक 05.05.2026 के अनुपालना में मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना कोटपूतली–किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे 4 से 6 लेन) के सम्बन्ध में जन सुनवाई दिनांक 19.06.2026 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक उद्योग आस–पास** के संस्करण में दिनांक **09.05.2026** एवं **राजस्थान पत्रिका** के संस्करण में दिनांक 09.05.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

Savita

अति॰ जिला कलक्टर, नीमकाथाना

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री नवीन माथुर के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल एरीया, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, परियोजना से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :–

1. श्री सुन्दरलाल भंवरीया, गांव सीहोड़ी (श्रीमाधोपुर) ने बताया कि कोटपुलती से किशनगढ़ का पहले से ही रोड़ है केवल 17 किलोमीटर कम करने के लिए इतना खर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। यह सड़क खेतों से लगभग 15 फीट की ऊंचाई से निकलेगी, इससे हमारे खेत खराब होगें और हमें रोजगार केसे मिलेगा। खेतों में हजारों पेड़ खेजडी, फलदार पेड़–पौधे है वो कटेंगे। एक तरफ करोड़ों रूपये खर्च कर सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान प्रोग्राम चलाया जा रहा है और दूसरी ओर ये खेजड़ी के पेड़ काटने की बात कर रहे है। इन पेड़ो की भरपाई कितने साल बाद होगी। यह हमारी समझ से परे है। ये योजना गांव और किसानों के किसी काम की नहीं है किसान बेरोजगार हो जायेगा। यह पैसेवालों को सक्षम बनाने के लिए है। हम किसान वर्ग इस परियोजना का विरोध करते है इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। हम एडीम

Savita

साहब से निवेदन करते है कि खेजड़ी काटने से पर्यावरण का नुकसान होगा और हम आग्रह करते है कि पर्यावरण को बचाने के लिए स्वीकृति जारी नहीं की जाये।

2. श्री भोलाराम लांबा, ग्राम प्रितमपुरी ने बताया कि जब से परियोजना एक्प्रेसवें की डीपीआर का सर्वे हो रहा है तब से किसान चिन्तित है। निर्माण के लिए भूमि अधीग्रहण में 200 मीटर चौड़ाई और 15 फिट उँचाई से किसान को क्या लाभ है। खेतों का विभाजन दो भागों में हो जायेगा। आम आदमी किसान को फायदा नहीं है। पूंजीवादियों को फायदा है। पहले से निकलने वाली रोड़ को चौड़ा किया जा सकता है। इस परियोजना से पर्यावरण प्रदूषित होगा जल वायु जंगल पशु नहीं बचेंगे निवेदन है कि इस योजना को सीरे से खारीज करने के लिए सरकार के पास भिजवाया जाये। हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देगें। समाचार पत्र में जो परियेाजना की विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अक्षर बहुत छोटे है जिस पर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया। जन सुनवाई के सम्बन्ध प्रचार–प्रसार सही ढंग से नहीं करवाया गया है। आम लोगों को इसकी समझ नहीं है। वर्षाऋतु होने के कारण किसान खेत जोतने में व्यस्त है। अतः जन सुनवाई में नहीं आ पाये। जन सुनवाई पुनः करवाई जाये।

3. श्री जयचन्द रूलाणीया, ग्राम प्रतिमपुरी ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, सरकार यह समझाये। मेरा 20 बिघा जमीन एवं मकान बनाया हुआ है। मकान जमीन जाने के बाद मुझे क्या मिलेंगा यह खेती ही मेरी रोजी रोटी है घर का खर्चा कैसे चलेगा एवं बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। बड़े बुजुर्ग जो जमीन जायदाद छोड़कर गये है उससे मेरें बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। मुआवजें की राशि से कितने दिन घर चलेगा। क्या सरकार हमें हाइवे के पास रोजगार प्रदान करेगी। रोजगार निर्माण के दौरान मिलेगा टोल पर अपने लोगों को लगायेगें, पुरी पब्लिक को रोजगार नहीं मिल सकता। मेरी जमीन सरकार ले लेगी तो जैसे भेंस, बकरी जिन्हे मैं पालता हूं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का पालन पोषण, घर खर्चा आदि कैसे चलेगा। इस परियेाजना में मेरी पुरी जमीन एवं घर

Anita

अति॰ जिला कलक्टर, नीमकाथाना

जा रहा है। जब सरकार हमें पुनर्वास देगी तो कहां पर देगी कोई स्थान निश्चित है क्या। खेती हमारी आजीवीका का एकमात्र साधन है हम इस परियोजना का विरोध करते है। पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि नियम यह भी किसी की पुरी जमीन, घर जा रहा है और उसके नाम से कहीं ओर जमीन, घर नहीं है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

4. श्री ज्ञानचन्द मीणा, ग्राम प्रितमपुरी ने बताया कि स्कुल कॉलेज के लिए यह परियोजना सही नहीं है क्योंकि सड़क ऊपर से जायेगी। और बच्चों को स्कुल कॉलेज जाने का रास्ता लम्बी दूरी तय करके आना होगा। गांवों की टेक्टर–ट्रोली का इतनी ऊंचाई पर रोड़ पर चढ़ना ही मुशकिल हो जायेगा। सरकार पुराने पेड़ों को काट रही है और आज लगाया हुआ पेड़ कब बड़ा होगा। क्या ये पर्यावरण के लिए सही है। यहां पर हजारों खेजड़ी, रूंज के पेड़ है इनके घास–फूस से पशुपालन करते है। किसानों के खेत छीन लेगें और घर टूट जायेगें तो किसान की आजीविका खत्म हो जायेगी। हम सरकार को यह बता देंगे की हम जान देंगे जमीन नहीं देंगे। हमारी जमीन पर सड़क नहीं बनेगी। पहले से ही बनी हुई सड़क 225 किलोमीटर की है उससे ही चौड़ा किया जा सकता है। 17 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरी सड़क बनाना जायज नहीं है। रोजगार मिलने की बात कर रहें है। रोड़ बनने पर हाईवें पर होटल बनेगें, टोल बनेगें उससे हमें क्या रोजगार मिलेगा। किसान ने बहुत मेहनत करके पेड़–पौधे पालता है। इस हरयाली को मत उजाड़ियें। चाहें हमारे को प्राण त्यागना पड़े जमीन नहीं देगें, केवल 17 किलोमीटर के लिए जिसपर आम आदमी नहीं जा सकता, उद्योगपतियों की रोड़ी, मार्बल जल्दी पहुंच जाये। किसान के द्वारा उत्पादन की गई सब्जीयां खराब हो जाये उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। वर्ष 2013 के अधिनियम में हम जमीन दे सकते है परन्तु समतुल्य जमीन देवें। इस परियोजना से हमारे रिति–रिवाज पर खत्म हो जायेंगें, खेत बट जायेगें, खेत से चारा लाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का चक्कर लग जायेगा, इस खेत से दूसरी तरफ खेत में नहीं जा सकते एवं सम्पर्क टूट जायेगें। यह परियोजना हमारे रिति–रिवास

Danita

अति. जिला कलक्टर, मानपाचाना

संस्कृति के विरूद्ध है। हमारे किसान, खेत, गांव बचाने के लिए पूरजोर विरोध करते है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वें भी किसान के बेटे है, इस 6 लेन को निरस्त करें। पर्यावरण विभाग से निवेदन करते है कि स्वीकृति प्रदान नहीं की जाये।

5. श्री बाबूलाल मीणा, ग्राम कांवट ने बताया कि जब से यह परियोजना आयी है तब से नींद नहीं आ रही है इस परियोजना में ग्रीनफिल्ड का कोई औचित्य नहीं है। किसान वर्ग की कोई नहीं सुन रहा है। हजारों पेड़ काटकर ग्रीनफिल्ड का नाम कैसे दे सकते है हजारों पेड़ पौधों काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा और नये पेड़ लगायेगें तो कब तक बड़े होगें, सांस लेना भी दुर्भर हो जायेगा। यमूना नदी का पानी शेखावाटी में लायेगें यह घोषणा की गई थी यमूना का पानी लाते तो यहां हरे–भरे खेत होतें। हम जान देंगें पर जमीन नहीं देंगे।

6. श्री श्यामलाल जाट, ग्राम कोटडी ने बताया कि इस परियोजना मेरा मकान जमीन सब कुछ चला जायेगा मेरे मकानों के बीच से रोड़ जायेगी इसे सोचकर में आत्महत्या करने का मन करता है। हम मरने को तैयार है लेकिन जमीन नहीं देगें। एक तरफ पेड़ लगाने की मुहिम चल रही है तो दूसरी और पेड काटे जा रहे है। हम प्यासे मर रहें है, गरीबों का खून बहेगा, हम कौनसे से देश में जायेंगे। हम इसका पूरजोर विरोध करते है।

7. श्री बाबुलाल जी, ग्राम ढेहरावली (मऊ) ने बताया कि हम किसान भोले है हमारी जमीन नहीं बचेगी हमारे मां–बाप ने पेड़ लगाये थे वो पेड़ ये काटेंगे। यें कह रहे है कि हम नये पेड़ लगा देगें। हम पागल नहीं, किसान ही जानता कि पेड़–कैसे पाले जाते है। हम एक फीट भी जमीन नहीं देगें। हम जान देंगें पर जमीन नहीं देंगे।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सम्बोधित करते हुए कहां कि जन सुनवाई में उपस्थित लोगों एवं किसान भाईयों का धन्यवाद आज यहां पर परियोजना से सम्बन्धित जानकारी जिसमें कितनी जमीन आयेगी, पेड़ कटेगें, पर्यावरण को नुकसान उसकी भरपाई के

Anita

अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। आप लोगों ने अच्छे विचार पर्यावरण के सम्बन्ध में रखे है तथा जो आपत्तियां मौखिक/लिखित आपने दी है उनको शामिल करते हुए अग्रीम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर भिजवायी जायेगी।

पुनः सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस सड़क परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 01 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद कहा एवं जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा के साथ जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Shivsingh pura Housing Board, SIKAR

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना कोटपूतली किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे 4 से 6 लेन) जिसका कुल एरीया 208.5 किलोमीटर है जिसमें 79 किलोमीटर तहसील पाटन, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं रींगस जिला सीकर (राजस्थान) हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 04.05.2026 के द्वारा उक्त ~~मार्ग~~ एक्सप्रेसवे (कोटपूतली–बहरोड़) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **19.06.2026 (शुक्रवार)** को प्रातः **11:00** बजे, स्थान– कार्यालय पंचायत समिति खण्डेला, **तहसील खण्डेला एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– कार्यालय पंचायत समिति खण्डेला, तहसील खण्डेला **एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– 19.06.2026 समय :– प्रातः 11:00 बजे (शुक्रवार)

क्र.सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
01	[illegible] ADM NKT.	[illegible]
02	अ[illegible] कुमार SDM Smpr	[illegible]
03	Jyotsna, Khera, SDM KDL	[illegible]
04	Brij[illegible] Kumar, SDM RNGS	[illegible]
05	Khem Ram, P.D. R.S.R.D.C.	[illegible]
06	उम्मेद सिंह	उम्मेदसिंह
07	Abhi[illegible] [illegible]	[illegible]
08	Naveen Mathur, Consultant	[illegible]
09	[illegible] / नारायण / [illegible]	[illegible]
10	[illegible] रामसरे	[illegible]
11	रामनिवास	रामनिवास
12	माता [illegible]	माता [illegible]

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
13	श्यामलाल जाट कोटड़ी	श्यामलाल जाट
14	सुनिल कुमार सामोता	[illegible]
15	रुकमा चन्द जाट कोंवट	[illegible]
16	रामावतार सामोता लोहरवाड़ा	रामावतार
17	सुन्दरलाल प्रदेश महामंत्री किसान महापंचायत	[illegible]
18	मदनलाल कोंवट	मदनलाल
19	कनवारी लाल स्वामी कोंवट	कनवारी
20	घसीराम सामोता लोहरवाड़ा	घसीराम
21	ज्ञानचन्द मीणा त्रिलोकपुरा	ज्ञान
22	गिरधारी लाल लोहरवाड़ा	[illegible]
23	भोलाराम लाम्बा कोंवट	भोला [illegible]
24-	जयचन्द जाट प्रीतमपुरी	[illegible]
25-	बाबूलाल मीना कोंवट	[illegible] 9784657055
27	मदनलाल चौहान	
28	राधेकांत माण्डन	9829928043 [illegible]
29.	बन्धु टेलर.	9784037775 [illegible]
30	भगरथ धारी	9928772848
नोट:- ज्ञान डेगो नर्सिंग नहीं डेगी [illegible]		

किसानों की | किसानों के लिए | किसानों द्वारा

किसान महापंचायत

पूरा मोल | घर में तोल

किसान की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है

खुशहाली के दो आयाम, | खेत को पानी, फसल को दाम

दिनांक: 19 जून 2026

श्रीमान वरिष्ठ **पर्यावरण** अभियंता **एवं क्षेत्रीय अधिकारी,**
क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
जिला- सीकर

विषय: 'कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जनसुनवाई 19 जून 26 में की पर्यावरर्णीय स्वीकृति प्रदान नहीं करने हेतु

सन्दर्भ: किसानों का संकल्प "ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे' के लिए **'जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे'**

मान्यवर,

उक्त संदर्भित विषय में निवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि **'जन-जमीन-जंगल-जानवर'** ही कृषि **प्रधान** भारत **की समृद्धि की आधारशिला** है। इसी के साथ पर्यावरणीय नीति से 'प्रथम सुख निरोगी **काया' की साधना संभव है।** पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण से सरकारों ने इनके विपरीत **नीतियां** आरंभ **की है।** इसी कारण कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक **ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे /भारतमाला जैसी** परियोजनाएं तैयार की गई। जनता में भ्रांति उत्पन्न करने के लिए **इन परियोजनाओं का** नाम ग्रीनफील्ड रखा है। जबकि इनसे वर्ष भर खेतों पर रहने **वाली हरियाली समाप्त**

होगी तथा गतिमान वाहनों से पर्यावरण प्रदूषित होगा। [illegible] पर्यावरण [illegible] करने वाली परियोजनाएं कृषि प्रधान देश की परिस्थितियों के प्रति [illegible] ने से समूल विरोधी है।

2. यह कि 'लोक प्रयोजन' के लिए ही भूमि अधिग्रहण किए जाने की अवधारणा की गई है। यह प्रस्तावित मार्ग 'लोक प्रयोजन' की परिधि में नहीं आता है। इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही 'प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी' की श्रेणी में आता है। इस प्रस्तावित मार्ग से वर्ष के अधिकांश समय में खेतों पर रहने वाली हरियाली तथा खेजड़ी सहित अनगिनत पेड़ पौधों का विनाश होगा, तब भी इसका नाम 'ग्रीन फील्ड' रखा गया है, जिससे हरियाली नष्ट होने का विरोध नहीं हो, यह जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसके कारण पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी।

3. यह कि 'कोटपूतली से लेकर किशनगढ़' तक 225 किलोमीटर 6 लेन राजमार्ग चालू है, इसके समानांतर 'ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे' की कोई आवश्यकता नहीं है। अपेक्षाकृत कम समय में पहुंचने के लिए इस मार्ग को 6 से 12 लेन तक बनाए जाने का विकल्प भी उपलब्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार इस राजमार्ग से अतिक्रमण हटाकर चौड़ा करना प्रस्तावित है। इस समानांतर एक्सप्रेस वे की लंबाई 208 किलोमीटर है। विद्यमान मार्ग से नए मार्ग की दूरी ~~44~~ 17 किलोमीटर कम होगी

4. यह कि इस नये एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि लगभग 9,000 बीघा है, जिसमें अधिकांश भूमि सिंचित एवं बहु फसल वाली है। 17 किलोमीटर दूरी कम करने के लिए देश की खाद्य सुरक्षा को संकट में डालना सर्वथा अनुचित है। प्रभावित किसानों ने यह संकल्प लिया हुआ है कि 'जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे'।

5. यह कि नया एक्सप्रेसवे 15 फीट ऊंचा बनना प्रस्तावित है। अनेक गांव एवं किसानों के खेत दो भागों में विभक्त हो जाएंगे, जिससे किसानों को अपने खेतों तक खेती करने के लिए लंबा चक्कर लगाकर जाने को विवश होना पड़ेगा। दूसरी ओर आसपास के क्षेत्र के धंधे गांव वासियों से छीनकर धनपतियों को दे दिए जाएंगे, इससे गांवों में बेरोजगारी की विकरालता बढ़ेगी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को उपार्जन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की भावना पर कुठाराघात होगा। देश में आर्थिक विषमता की खाई अधिक चौड़ी होगी। विषमता बढ़ने से अशांति, आतंकवाद, नक्सलवाद,अराजकता एवं अपराध बढ़ते हैं।

6. यह कि प्रस्तावित मार्ग पर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं साइकिल जैसे वाहन नहीं चल सकेंगे। पैदल चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस प्रस्तावित मार्ग की कोई उपयोगिता नहीं है बल्कि इससे अनेक ग्रामीण परिवार उजड़ जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त सम्मानपूर्वक जीवनयापन का मूलभूत अधिकार समाप्त हो जाएगा।

7. यह कि देश में संत विनोबा भावे ने भूदान के द्वारा सभी समाजों के भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने का अभियान चलाया था। इसके विपरीत सरकारें किसानों से कृषि भूमियों को छीनने का काम कर रही हैं। 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013' में देश की खाद्य सुरक्षा को संकट से बचाने के लिए सिंचित एवं बहुफसली भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने का प्रावधान किया है। इसी में अपवादित स्थिति में भूमि अधिग्रहण करने पर उतनी ही मात्रा में कृषि भूमि तैयार करने का भी उल्लेख है। यद्यपि अधिनियम की धारा 10 के परंतुक में ऐसे एक्सप्रेसवे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। किंतु खाद्य सुरक्षा 'सर्वजन हिताय' होने कारण उसे किसी भी दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता।

8. यह कि मंदिर माफी की भूमियों पर कृषि कार्य करने वालों तथा सरकारी भूमियों पर मकान भवनों [illegible] निर्माण एवं उन पर की जाने वाली कृषि संबंधी विवादों की संख्या में बढ़ोतरी होगी [illegible] अनेकों ग्राम वासियों की आजीविका विपरीत रूप से प्रभावित होगी। इससे [illegible] एवं परिवारों के उजड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

9. यह कि कृषि [illegible] को विक्रय के लिए गांव से बाहर शहरों में ले जाने पर किसान स्वयं को असहाय [illegible] अनुभव करता है। वहां पर उसे अनेकों बार अपने उपज ओने-पोने दामों पर [illegible] पड़ती है। किसानों की चाहत अपने उत्पादों को अपने गांव में विक्रय करने [illegible] है। इससे किसानों को अपेक्षाकृत अधिक दाम प्राप्त करने की संभावना [illegible] है। गांव के उत्पादों का क्रय-विक्रय गांव में ही हो, इसके लिए किसानों ने '[illegible] का अभियान' [illegible] किया हुआ है। इस कारण प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से [illegible] को [illegible] उत्पादों को शहर तक पहुंचाने का लाभ का तथ्य निराधार है।

10. यह कि किशनगढ़ से मार्बल तथा नीम का थाना क्षेत्र से गिट्टी, रोड़ी एवं पत्थर पाउडर को कम समय में पहुंचाने की कोई युक्तिसंगतता नहीं है ये पांच के स्थान पर 10 घंटे में भी पहुंच जावे तो इनकी प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है क्योंकि सर्दी गर्मी या बरसात से ये अप्रभावित रहते हैं।

11. यह कि प्रभावित किसान इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर गत छः माह से इस क्षेत्र में निरंतर बैठकें, धरने, प्रदर्शन, ट्रेक्टर रैली, पैदल यात्रायें कर सरकार को ज्ञापन देकर 'जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे' का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं।

अतः ज्ञापन प्रस्तुत कर श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त संदर्भित संकल्प के अनुसार पर्यावरण की रक्षा के लिए 'कोटपूतली से किशनगढ़ तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे' को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

(ज्ञानचन्द मीणा)
किसान महापंचायत प्रदेश मंत्री

भवदीय

पीड़ित किसानो की ओर से
किसान महापंचायत जिला सीकर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग जयपुर
2. श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
3. श्रीमान मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर

T OFFICER
ANATPURA
MADHOPUR

ांगल,
(राज.)
3.05.2026

(स्वामित्व
न.रा.अधि.
देवस)
ायत समिति
के स्वामित्व
ग्राम पंचायत
ड्रोन इमेज व
वलोकन हेतु
ाया है:

सर्वे में यदि
स में अपनी
कोई आपत्ति
ार्यवाही की
ाक्षर से जारी

ा, स्वामित्व

अधिकारी
की नांगल
ा (सीकर)

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE

RPCB/RO Sikar/SIK-PH 057/589

Date: 4.05.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय:- मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, के द्वारा प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे) के सम्बन्ध हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक **मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना कोटपूतली-किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे 4 से 6 लेन) जिसका कुल एरीया 208.5 किलोमीटर है जिसमे 79 किलोमीटर तहसील पाटन, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं रींगस जिला सीकर (राजस्थान)** में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
   - i. जिला कलेक्टर, सीकर
   - ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
   - iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
   - iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
   - v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
   - vi. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, रींगस जिला सीकर।
   - vii. पंचायत समिति, खण्डेला, तहसील खण्डेला एवं जिला सीकर।
   - viii. तहसीलदार, पाटन, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, रींगस जिला सीकर।
   - ix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   - x. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 04.05.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.06.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- कार्यालय पंचायत समिति, खण्डेला, तहसील खण्डेला एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

DIPR/C/8184/2026

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar/SIK-Pv1-057/ 589 Date: 4.05.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय- मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, के द्वारा प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे) के सम्बन्ध हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना कोटपूतली-किशनगढ़ (ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे 4 से 6 लेन) जिसका कुल एरीया 208.5 किलोमीटर है जिसमें 79 किलोमीटर तहसील पाटन, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं रींगस जिला सीकर (राजस्थान) में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।, 2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।, 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

i. जिला कलेक्टर, सीकर।, ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।, v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।, vi. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, रींगस जिला सीकर।, vii. पंचायत समिति, खण्डेला, तहसील खण्डेला एवं जिला सीकर।, viii. तहसीलदार, पाटन, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, रींगस जिला सीकर।, ix. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।, x. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 04.05.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.06.2026 (शुक्रवार) को प्रात: 11:00 बजे, स्थान-कार्यालय पंचायत समिति, खण्डेला, तहसील खण्डेला एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 रो राग्वन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा रागय-रागय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

DIPR/C/8184/26

[illegible]

बीकानेर नगर निगम

[illegible]

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

[illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर

DIPR/C/8184/2026

Public Hearing Photographs: Khandela (Sikar); Date:19.06.2026

Public Hearing Photographs: Khandela (Sikar); Date:19.06.2026

Public Hearing Photographs: Khandela (Sikar); Date:19.06.2026

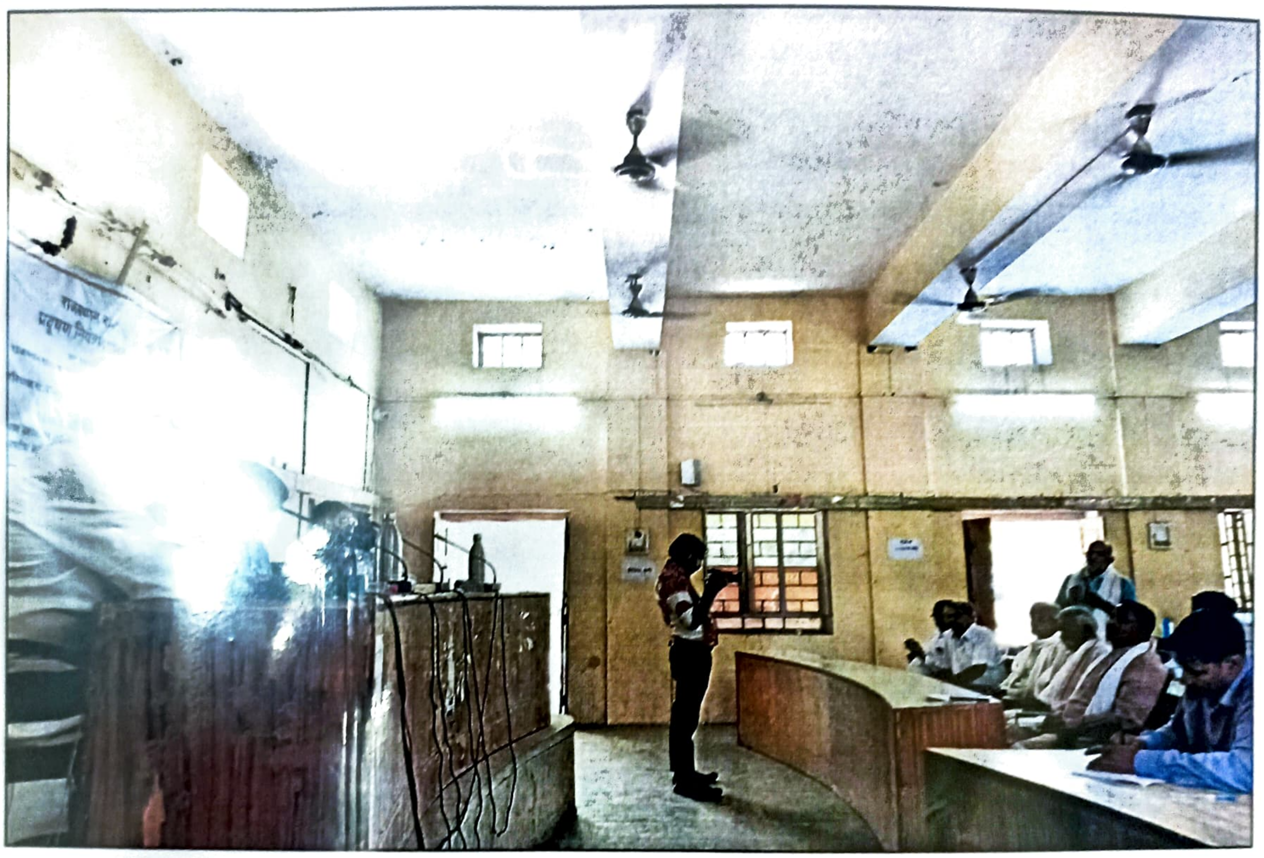

CEG